

भारतीय राष्ट्रीय
उपभोक्ता सहकारी
संघ मर्यादित



National Cooperative
Consumers' Federation
of India Ltd.

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

शाखा कार्यालय: डी-79, विज्ञानपुरी, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226006
Branch Office: D-79, Vigyanpuri, Mahanagar Extension, Lucknow-226006

Phone.: 0522-4072415
E-mail: nccfiko@gmail.com

भाराउससं / लख / धा0ख0 / 2026-27/406

दिनांक-10.08.2026

प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा एन0सी0सी0एफ0 की लखनऊ शाखा को क्रय एजेन्सी नामित किया जाना विचाराधान/प्रस्तावित है। इस क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत उ0प्र0 राज्य के विभिन्न जनपदों में एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से संचालित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों पर धान खरीदी हेतु इच्छुक अनुभवी पंजीकृत/मल्टी स्टेट (अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा धान खरीदी हेतु अनुमन्य) समितियों के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में अच्छी शाख वाली समितियों जिन्हें उक्त कार्य का अनुभव हो, अपने पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रपत्रों के साथ-साथ क्रय केन्द्रों का प्रस्ताव दिनांक 17.08.2026 को अपरान्ह 03:00 बजे तक शाखा कार्यालय में जमा करा सकते हैं। पता निम्नवत् है:-

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, (एन0सी0सी0एफ0)

शाखा कार्यालय-डी-79, विज्ञानपुरी महानगर विस्तार, लखनऊ-226006

ई-मेल आई.डी-nccfiko@gmail.com, bm.lucknow@nccfindia.com

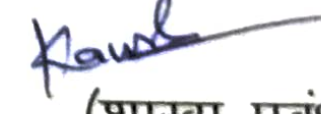
दूरभाष संख्या-9831115495

प्राप्त किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

कृते-भाराउससं मर्यादित

for 
(शाखा प्रबंधक)

प्रतिलिपि-नोटिस बोर्ड, एन0सी0सी0एफ0, शाखा कार्यालय, लखनऊ।

आवश्यक प्रपत्र

1. फार्म शुल्क रू0-1180/- जी0एस0टी0 सहित
2. पंजीयन हेतु धरोहर राशि रू0-50000/-
3. निबंधन की कापी।
4. जी.एस.टी. नम्बर की कापी।
5. पैन कार्ड की कापी।
6. आधार की कापी।
7. समिति के बायलाज/मेमोरेन्डम की कापी।
8. डायरेक्टर की लिस्ट।
9. विगत तीन वर्षों के बैलेशसीट (UDIN No-के साथ) की प्रति।
10. विगत तीन वर्षों के आई.टी.आर. की प्रति।
11. कार्य अनुभव से सम्बन्धित प्रपत्र।
12. बैंक विवरण/कैन्सिल चेक की प्रति।
13. एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से खरीद करने हेतु समिति के निदेशक मण्डल की प्रस्ताव/बैठक की कार्यवृत्त की प्रति।
14. धान खरीदी हेतु निर्धारित सिक्योरिटी की राशि-5,00,000/- प्रति केन्द्र।
15. किसी भी विभाग द्वारा समिति को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है इस आशय का शपथ-पत्र की प्रति।
16. जिलों/मण्डल में कार्य हेतु सम्बन्धित डी0आर0/ए0आर0 अथवा जो भी प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो उसके स्तर से जारी किया गया इस आशय का संस्तुति पत्र कि समिति एन0सी0सी0एफ0 के माध्यम से जुड़कर खरीदी कार्य कर सकती है।
17. उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन हेतु अन्य प्रपत्र जो भी एन0सी0सी0एफ0 मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा वह आवश्यक होगा।

